an>

Title: Need to take strict legal action against the persons found guilty of charging toll tax illegally on National Highway No. 2 in Bihar.

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर मोहनसराय वाराणसी, उत्तर प्रदेश से औरंगाबाद बिहार तक 192.400 किलोमीटर हो रहे छः लेन निर्माण कार्य में लगी कंपनी द्वारा 12.09. 2011 से ही छः लेन रोड का शुल्क लिया जा रहा है जबकि कंपनी को उक्त वर्णित कार्य 8 मार्च 2014 तक पूरा करना था लेकिन अभी तक एक-तिहाई कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। अब तक 500 करोड़ रुपए का अवैध शुल्क का कलैक्शन कर लिया गया। एक तरह से यह आर्थिक अपराध है। माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में यह रोड बनाया जा रहा है, अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही कर ली गई है जबकि छः लेन रोड तैयार भी नहीं हुई है। 25 परसेंट काम हुआ है तब भी शुल्क की उगाही जारी है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जांच उपरांत उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनुचित उगाही को समाप्त करने और शीघ्र सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग-2 मोहनसराय वाराणसी, उत्तर प्रदेश से औरंगाबाद, बिहार तक छः लेन का शीघ्र निर्माण करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए ताकि आम जनता को आर्थिक अपराध एवं अवैध उगाही से छुटकारा मिल सके।

महोदय, छः लेन रोड का निर्माण किए बिना अनुचित एवं अवैध शुल्क की उगाही के विरुद्ध ठोस कानूनी कार्यवाही की जाए जिससे करोड़ों का अवैध शुल्क उगाही के दोषी को दंडित किया जाए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें ताकि प्राइवेट कंपनी को दंडित किया जाए, जुर्माना लगाया जाए और जनता से कलैक्ट किया हुआ शुल्क लौटाया जाए।